

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 07.03.25

रीडर/2025/1039

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 शंकरलाल पुत्र
नवलाराम जाति
कुमावत निवासी
रोहिली तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


1 जगदीश पुत्र नवलाराम वगैराह जाति कुमावत
निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-633/2024

दिनांक- 04/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण गौजा कपुरडी पटवार क्षेत्र कपुरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 883/187 रकबा 2.6547 हेक्टर, व गौजा रोहिली पटवार क्षेत्र कपुरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 920/119 रकबा 0.9308 हेक्टर, खसरा संख्या 200 रकबा 1.5135 हेक्टर, खसरा संख्या 912/190 रकबा 1.4164 हेक्टर, व खसरा संख्या 918/194 रकबा 3.7312 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1040-43

दिनांक- 07.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपुरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अब्दुला शंकरलाल पुत्र नवलाराम जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जगदीश पुत्र नवलाराम वगैराह जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर

